रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082023-248016 CG-DL-E-11082023-248016

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3431]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2023/श्रावण 19, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2023/SHRAVANA 19, 1945

No. 3431]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

का.आ. 3585(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की धारा 17 और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है. नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को अग्निशमन यंत्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जा जाएगा।
- (2) यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा:

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा- परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

5173 GI/2023 (1)

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा- परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण उक्त ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
	15683:2018	पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र —
अग्निशमन यंत्र		प्रदर्शन और निर्माण
	16018:2012	पहिएदार अग्निशमन यंत्र प्रदर्शन और निर्माण

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

> [फा. सं. पी-29026/10/2022-एलईआई] संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 9th August, 2023

- **S.O.** 3585(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedients to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: -
- **1. Short title and commencement. -** (1) This Order may be called the Fire Extinguishers (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force with effect from six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

Provided that for Micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from twelve months from the date of publication of this notification.

Provided that for Small Enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from nine months from the date of publication of this notification.

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

- **3.** Certification and enforcement authority. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the said Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of The Bureau of Indian Standards Act, 2016.

n		DI	
	I A	ĸ	٩,

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
	15683:2018	Portable Fire Extinguishers —
		Performance and Construction
Fire Extinguishers	16018:2012	Wheeled Fire Extinguishers —
		Performance and Construction

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/10/2022-LEI]